न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.3 / 2020 दिनांक 24.8.2020

सरकार बनाम रतन लाल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खरकड़ी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 408 / 6.21 है0 किस्म चारागाह मेंसे 0.01 है0 पर रतन लाल शर्मा पुत्र नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खरकड़ी पत्थर डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । गैर सायल स्वयं उपस्थित आये ।गैर सायल की तरफ से जबाब व दस्तावेज पेश किया जो संलग्न पत्रावली किये गये। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि गैर सायल द्वारा चारागा /सिवायचक पर अतिक्रमण नहीं है। ना ही भविष्य में करूंगा । गैर सायल ने अपने जबाब के संबध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की छाया प्रति पेश की गई जो संलग्न पत्रावली की गई। गैर सायल के जबाब के संदर्भ में भू–अभिलेख निरीक्षक से पुनः जांच करवाई गई जिसमें उन्होंने बाद जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया की वाके ग्राम खरकडी के खसरा नंबर 408 किस्म चारागाह पर अतिक्रमण के संदर्भ में जांच की गई तो गैरसायल रतन लाल पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण का पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार 0.01है0 भूमि पर अतिक्रमण है। हमने भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट, पटवारी हल्का रिपोर्ट ,गैर सायल के जबाब व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है , अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल रतन लाल शर्मा पुत्र नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खरकड़ी को वाके ग्राम खरकड़ी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 408 / 6.21है0 किस्म चारागाह मे से 0.01है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर डाले गये पत्थरों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.30रू. का पचास गुणा 15रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली एवं निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया । Sh

सन 2020 2021 क रा0 ल0
पृष्ठ संख्या 83 पर 15
कायम किये गये ।
22/9/20
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली